RAJYA SABHA

Friday, the 30 th November, 2007/ 9 *Agrahayana,* 1929 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Safe water to affected communities of chemical leak from Union Carbide in Bhopal

*221. SHRI NANDI YELLAIAH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Amnesty Secretary General while addressing the Prime Minister during 2006, expressed deep concern that Government has failed to ensure regular and sufficient piped drinking water to all affected communities in Bhopal in compliance with a 2004 Supreme Court order, as several thousands of people in several parts of Bhopal still drink even today poisoned water, even after more than two decades, after the deadly chemical leak from the multinational Union Carbide Plant; and

(b) if so, the details of action taken so far, by the Central and the State Governments?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Secretary General, Amnesty International had appealed to the Prime Minister in an open letter dated 6th April, 2006 to take immediate steps to ensure regular supply of adequate safe water for the domestic use of the affected communities in Bhopal, in line with the order issued by the Supreme Court.

The Supreme Court of India *vide* its order dated 7th May, 2004 directed the State Government of Madhya Pradesh to ensure safe drinking water supply to the 14 gas affected bastis situated near the Union Carbide Plant at Bhopal.

The Government of Madhya Pradesh, in compliance with the orders of Supreme Court, 'ook action and installed 98 water tanks at different places in the said bastis.

During the initial stage, these tanks were filled up by transportation of water through private and Corporation tankers. As an interim measures, four tubewells were drilled at Raslakhedi, which is five kilometers away from these bastis and two 50,000 gallon capacity sumps were constructed at Bhanpur and Blue Moon Colony. Remaining tanks are still being filled by transportation of water through tankers. Water is being chlorinated and is potable and quality testing done regularly.

Based on the sanction by Government of India in April, 2006 for a project under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), the Government of Madhya

Pradesh had sanctioned Rs. 14.18 crore to Bhopal Municipal Corporation (BMC), under this project, for providing safe drinking water through pipelines from the Kolar Reservoir to 14 localities around the UCIL plant site. The Government of Madhya Pradesh has informed that the work order amounting to Rs. 10.55 crores for laying and joining of the D.I. pipes had been issued on 20th July, 2007 and Rs. 2.74 crores for construction of R.C.C. overhead tanks issued on 6th November, 2007. Work related to these activities is under progress. Completion time of these works, as informed by the State Government, is one year from the date of issue of work orders.

In addition, a Consultant has been appointed for preparation of a Detailed Project Report (DPR) for distribution of water in Bhopal city, including the 14 bastis.

श्री नंदी येल्लैया : सर, आज का जो सवाल हैं, यह ऐसा सवाल हैं जिसका ताल्लुक सभी लोगों से है। एक जमाने में जब विदेशी लोग अगर स्वदेश में आते थे तो हरेक आदमी के पास मिलरल वाटर रहता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वाटर के अंदर 75 परसेंट पॉल्युशन हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिसके अनुसार सभी हमारे मंत्री महोदय ने उनका काफी विस्तार से, डिटेल में ब्यौरा दिया। 14 crore 18 lakh इस पाईप लाइन के अंदर आज से 25 साल पहले तक भयानक दुर्घटना हुई थी।

श्री सभापति : Question please

श्री नंदी येल्लैया : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। मैं उसी के लिए ठहरा हूं, दूसरे किसी के लिए नहीं ठहरा हूं, उसी सवाल को पूछने के लिए ठहरा हूं। आज से 25 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसकी वहज से अभी यह क्वेश्चन उठा। अभी हमारे मंत्री महोदय ने यह बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की ओर से, जिसे आपने रिलीज किया, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां इसका लिकेज हुआ, उसके लिए वहां के राज्य सरकार का कितना फण्ड हैं, कितना बजट हैं? इस विषय में कुछ भी नहीं हुआ, तो यह मेरा फर्स्ट Suppementary Question हैं।

श्री राम विलास पासवान : सर, इसमें हमने बतलाया हैं कि जो वहां की कई एक समस्याएं हैं, पानी की समस्या हैं, राहत की समस्या हैं, क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं, कचरा हटाने की समस्या हैं, बहूत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आज जो इसका specific question पानी के संबंध में हैं कि लोगों को शुद्व पेयजल की व्यवस्था हो, इसके लिए वहां की सरकार क्या कदम उठा रही हैं? अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद 2004 में 98 टैकंर अतिरिक्त पानी की वहां व्यवस्था की गई, लेकिन लोगों की यह शिकायत थी कि साहब, यह पानी भी पाल्यूटेड हैं और प्रदूषित हैं। उसके बाद भानपुर तथा ब्लुमून में दो हौद बनाए गए और रसलाखेड़ी से उन हौदों में पानी आ रहा हैं, रसलाखेड़ी, भोपाल में वहां से पांच किलोमीटर की दूरी हैं। इस प्रकार, भानपुर और ब्लूमून कालोनी में रसलाखड़ी से पानी आ रहा हैं, लेकिन वहां पाचं किलोमीटर की दूरी हैं। NGOs के लोग हमसे मिलने थे और उन्होने कहा कि वह भी पानी पॉल्यूटेड है, इसलिए उसमें हम लोगों को दूसरी जगह से यानी कोलार से पानी चाहिए। कोलार वहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उसके लिए सरकार ने 14.18 करोड़ रूपए दिया, जो आप कह रहे हैं, और "जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन" के अंतर्गत राज्य सरकार को मार्च , 2006 में दिया और पाईप लाइन बिछाने और जलाशय बनाने का काम जारी हैं और वह नंवबर, 2008 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पूरे भोपाल शहर, जिसमें ये 14 बस्तियां भी शामिल हैं जहां पर यह पॉल्यूटेड वाटर हैं, के लिए पानी की समस्या हल करने के लिए एक consultant नियुक्त किया गया हैं।

श्री नंदी येल्लैया : सर, भोपाल के अंदर यह जो दुर्घटना हुई, वहां के राज्य सरकार की तरफ से फंड्ज का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन फंड्ज से कब तक, कितने जिलों में, कितने गांवो में, कितने शहरों में सेफ वाटर सत्लाई की जा रही हैं, इसका कोई ब्यौरा आप दे सकते हैं?

श्री राम विलास पासवान : राज्य सरकार की सारी बातों को हम यहां नहीं बता सकते हैं। यह मामला सिर्फ भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। इसमें केवल चौदह बस्तियां हैं, जो प्रभवित हैं और उनके लिए पानी की जो समस्या हैं, उसके संबंध में हमने जवाब दे दिया हैं।

DR. K. MALAISAMY: Sir, it is most disheartening to note that the problem of drinking water supply to the victims of Bhopal gas blast is yet to be solved. From the reply of the Minister we are able to see that the tragic event took place as early as two decades back and the Supreme Court order was dated 2004 and the letter of Amnesty Secretary General is 2006. From the facts we are able to see that the problem of drinking water supply is in the process of correction. They should have taken long-term or short-term measures. As far as drinking water supply is concerned why should wait for the Supreme Court order? It is the basic responsibility of the Government and the local authorities to do these things. Sir, I would like to ask now whether they have taken it very seriously and whether they can give a time frame before which they can say that everything is complete as per the Supreme Court order.

श्री राम विलास पासवान : सर, हमने कह दिया कि यह बात सही हैं कि 2004 तक वहां के लोगों के लिए जो स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नही हो सकी और 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो उसके बाद से यह सारी प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें 98 टैकर्स की बात हमने कहीं। बाद में पांच किलोमीटर की दूरी पर हौद बनाने की बात हैं, लेकिन जो नया काम शुरू किया गया हैं, यह नवंबर, 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा और एन.जी.ओज. की पानी के संबंध में भी यही मांग थी।

DR. K. MALAISAMY: My question is: why should they wait till the Supreme Court gives a verdict. Why don't they do it by themselves *Suo moto?* Are they not bound to do?

SHRI RAM VILAS PASWAN: Central Government cannot say anything on this.

श्री अमर सिंह : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि process of correction की बात हो रही हैं, बहुत अच्छी बात हैं, लेकिन क्या यह सही हैं कि 9000 टन से भी ज्यादा जहरीले रसायन के रिसाव के कारण Dow Chemical plant के नजदीक रहने वाले तीस हजार से भी ज्यादा लोग वहां के पानी और मिट्टी के विषाक्त हो जाने से बीमार हो चुके हैं। क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी से प्राभवित लोगों को इस संबंध में बार-बार आश्वासन दिया हैं? इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कार्बाइड प्लांट साइट के नजदीक रहने वाले लोगों को पाइप लाइन द्वारा शुद्व जल पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को क्या साढ़े चौदह करोड़ रूपए दिए हैं। यदि हां,तो यह मंत्रालय का सिर्फ आश्वासन ही हैं या process of course correction है और कब तक यह हो जाएगा? साढ़े चौदह करोड़ रूपयों का क्या हुआ? यह कहां गया? अभी तक पानी शुद्व क्यों नहीं हुआ?

श्री राम विलास पासवान : सर, 14.8 करोड़ रूपए मार्च, 2006 को राज्य सरकार को दे दिए गए थे। पाइप बिछाने और जलाशय बनाने का काम जारी हैं और जैसा कि मैंने कहा कि नवंबर, 2008 यानी अगले साल उसका टाइम बाउंड हैं, उस समय तक यह पूरा कर लिया जाएगा।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, यह हादसा जब हुआ था, उस समय मैं भोपाल में था। उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने इन सारी बस्तियों को, जो पेयजल के संकट से ग्रसित थीं, उसका उपाय किया था। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत जो धनराशि भारत सरकार ने दी हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उसका सही ढंग से उपयोग हो जाए? क्योंकि माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि यूनियन कारबाइड की जो गैस निकली थी, उससे एक ही दिन के अंदर उस वक्त पूरा भोपाल खाली हो चुका था। यह एक गंभीर दुर्घटना थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यही जानना चाहता हूं कि इस मिशन के अंतर्गत जो धनराशि मध्य प्रदेश सरकार को दी गयी है, क्या उसकी समय समय पर जांच कराने की व्यवस्था आप करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : सर, इसके लिए ऑलरेडी कमेटी बनायी गयी हैं। एनजीओज की तरफ से यह डिमांड थी। हमारे केमिकल्स ऐंड पेट्रोकेमिकल्स के जो सेक्रेटरी हैं, वे उसके अध्यक्ष हैं। वे समय समय पर ही नहीं, बार-बार उसकी निगरानी करेंगे।